फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री टीला | विपक्षी : श्री अमरा

किस्म मुकदमा – 53 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 17/20

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.03.2021	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के तर्क सुने। वाद वर्णित आराजीयात सामलाती होकर वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। भूमि सामलाती होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में कठिनाई आ रही हैं। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया हैं। इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। भूमि सामलाती होने से वादी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने मे कठिनाई आ रही हैं। इसलिए वादी हिस्से कब्जे के आधार पर बंटवाडा कराना चाहता हैं। चूंकि भूमि अविभाजित होकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। भूमि सामलाती होने से भूमि का हिस्से कब्जे के आधार पर बंटवाडा किया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी न. 1733/2 किता 1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा.का.अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो। भूमि की नई नाप (हेक्टेयर) के अनुसार तैयार कर पेश करें।

पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 28.04.2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested

28/4/21
पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नही हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 14/7/21 को पेश हो।

14/7/21
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 26/10/21 को पेश हो।

26/10/21
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 8/11/21 को पेश हो।

2/11/21
पत्रावली तलब की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021' संचालित किया जाने से पत्रावली में अभिभाषक व पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प- ढ़ोल दिनांक 14/12/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

14/12/21
पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार/पटवारी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 596 दिनांक 13/12/21 अनुसार पक्षकारान द्वारा आपसी बंटवारा कर लिया गया है अतः आपसी बंटवारा हो जाने से अब पत्रावली में कार्यवाही शेष नहीं रहती। अतः पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसला सुनाए होकर रिकार्ड में जमा हो।
निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested